

12.09.17

परिवादी द्वारा अधिवक्ता श्री ए.के.

श्रीवास्तव।

आरोपी अंगद सिंह अनुपस्थित।

जारी वारंट अदम तामील पेश। तामील कुलिंदा प्रहलाद शर्मा उपस्थित। उसका फरारी कथन लिया गया। साक्षी द्वारा अपने कथन में बताया कि आरोपी को दिए पते पर तलाश करने पर वह काफी समय से फरार है और निकट भविष्य में उसके मिलने की कोई संभावना नहीं है।

अतः साक्षी के कथनों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी को फरार घोषित किया जाता है। आरोपी का स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी हो।

प्रकरण का सार अंकित पंजी कर दाखिल अभिलेखागार हो।

(वीरेन्द्र सिंह

राजपूत)

विशेष न्यायाधीश विद्य

त गोहद

जिला भिण्ड म.

प्र.